न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2022

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा, जिला — झुंझुनूं।
—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शर्मा स्टील हाउस प्रो0 श्री रामनाथ शर्मा पुत्र श्री जयराम शर्मा, मुख्य बाजार चिडावा जिला झुझुनू (राज.) 333026
2. श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री रामनाथ ब्राहाण
   (अ) ग्राम व पोस्ट— ब्राहाणो की ढाणी पोस्ट— अडुका, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज.) 333026
   (ब) दुकान नं. 4 वार्ड नम्बर 2/20, ग्राम — चिडावा, नगर पालिका चिडावा जिला झुंझुनूं (राज.)

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

बनाम प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 एतद् पश्चात् ''एक्ट'' से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

——

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं बैंक प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही।

आदेश

दिनांक 15.06.2022

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी/ऋणी को कुल रूपये रूपये 5.00 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 04.02.2012 को नकद साख ऋण के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे अन्य सम्पत्तियों के साथ श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री रामनाथ ब्राहाण की दुकान नं0 4 वार्ड नम्बर 2/20 ग्राम— चिडावा नगर पालिका चिडावा जिला— झुंझुनूं (राज0) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 20.31 वर्गगज) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 01.10.2021 को एन0पी0ऐ0 घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 5,18,117/— दिनांक 30.09.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 01.10.2021 को एन0पी0ऐ0 घोषित होने के कारण ''एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी व जमानती को दिनांक 04.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवायी गई व न ही,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बंधकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रूपये 5,18,117/– दिनांक 30.09.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। यह कि एक्ट की धारा 14 के अर्न्तगत प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटिज से संबंधित डॉक्यूमेन्टस कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियो के सुचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरणः– श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री रामनाथ ब्राहाण की दुकान नं0 4 वार्ड नं0 2/20 ग्राम – चिडावा, नगर पालिका चिडावा जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 20.31 वर्गगज)
पूर्व में दुकाने छोटी एवं उत्तर की ओर श्रीमती संतरा देवी की भूमि,
पश्चिम में दुकानें,
उत्तर में रोड
दक्षिण में दुकाने,
बैंक की सूचना के अनुसार उक्त बन्धक सम्पति मान्यवर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः प्रार्थी बैक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र की मद संख्या–6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व सम्बधित डॉक्यूमेंन्टस का कब्जा प्रार्थी बैक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूति आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है। प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री रामनाथ ब्राहाण की दुकान नं0 4 वार्ड नं0 2/20 ग्राम-चिडावा, नगर पालिका चिडावा जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 20.31 वर्गगज) का पजेशन प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिडावा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:04 IST
Reason: SelfAttested